सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 08/2016 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2016/00024

अनवान

1. श्री धुलचन्द पिता होमा कलासुआ, निवासी नला छोटा, तह झाडोल, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मणलाल पिता मेघा कलासुआ, निवासी नला छोटा, तह झाडोल, जिला उदयपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मोहनलाल जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 10-05-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा नला छोटा, तहसील झाडोल की आराजी संख्या 86 क्षेत्रफल 0.68 हैक्टेयर के लिये विपक्षी संख्या 1 के नाम पारित आवंटन आदेश दिनांक 27.06.1992 विधि एवं नियमों के विपरित है। उक्त आवंटन आदेश विधिक प्रक्रियाओं को अपनाये बिना किया गया है। उक्त आवंटन आदेश पर जनप्रतिनिधि, विधायक, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर नही है और न ही कोई जनप्रतिनिधि सदस्य के रूप में वक्त आवंटन उपस्थित है। इस प्रकार आवंटन सलाहकार समिति का कोरम अपूर्ण होते हुये भी उक्त आवंटन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन आदेश दिनांक 27.06.1992 पर किसी विभाग के प्रशासक के हस्ताक्षर है, अंकित नही है। प्रशासक आवंटन सलाहकर समिति का सदस्य नही हो सकता है। आवंटन से पूर्व विधिवत उद्घोषणा जारी नही हुयी न ही उद्घोषणा सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की गयी। विपक्षी संख्या 1 ने गलत तरीके से उक्त भूमि अपने नाम पर आवंटित कराई है, क्योंकि विपक्षी संख्या 1 के नाम गांव में पर्याप्त भूमि है तथा वह भूमिहीन की श्रेणी में नही आता है। आवंटन नियम 15 के उप नियम 3 के अनुसार आवंटन पारित होने के 15 दिन में आवंटी को भौतिक कब्जा सुपुर्द नही किया गया है। विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकारी भी विधि विपरित दिये गये है। उक्त आराजी पर प्रार्थी निवासरत हो प्रार्थी का ही कब्जा विगत 30–40 वर्षो से लगातार चला आ रहा है एवं उसके द्वारा काफी आर्थिक लागत लगाकर भूमि को उपजाऊ बनाया है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर मक्का, चावल, तिल आदि का बुआई करता है। उक्त भूमि के पश्चिम् एवं दक्षिण दिशा में लगती हुयी प्रार्थी की

खातेदारी भूमि स्थिति है इस प्रकार आवंटन नियम 20 के अनुसार पुराने कब्जें के आधार पर उक्त भूमि प्रार्थी को ही आवंटित की जानी चाहिये थी किन्तु नियमों की अनदेखी कर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा वस्तुस्थिति की सही रिपोर्ट आवंटन सलाहकर समिति के समक्ष प्रस्तुत न करने से विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का गलत आवंटन हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी आवंटन आदेश दिनांक 27.06.1992 को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री लोकेश जैन, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब हेतु समय चाहा किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश न करने से मामले में जवाब विपक्षीगण बन्द किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार झाडोल से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गईं। तहसीलदार झाडोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ/2016/125 दिनांक 24.01.2017 से प्रेषित मौका रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व ग्राम नला छोटा, तहसील झाडोल की विवादित खसरा संख्या 86 रकबा 0.68 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में हाल आराजी नम्बर 501/86 रकबा 0.68 हेक्टेयर को विपक्षी संख्या 1 श्री लक्ष्मण पिता मेघा भी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकर्ड है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि बीड के रूप में स्थित है एवं मौके पर इसकी उत्तरी सीमा पर प्रार्थी श्री धुलचन्द पिता होमा कलासुआ द्वारा काटो व रतनजोत की बाड लगा रखी है। मौतबिरान अनुसार उक्त भूमि का उपयोग प्रार्थी श्री धुलचन्द पिता होमा कलासुआ द्वारा किया जा रहा है एवं भूमि पर कोई काश्त नही पाई गयी है तथा खातेदार का कब्जा काश्त नही है। तहसीलदार से मामले की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी से आवंटन से सम्बन्धित मूल आवंटन पत्रावली संख्या 686/92 तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी अधिवक्त उपस्थित हुए जिन्होने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आवंटन कमेटी का कोरम पूरा न होना, आवंटन कमेटी के कोरम में प्रशासक का पदनाम अंकित न होना, कोरम में जनप्रतिनिधि का न होना, पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट करना, उद्घोषणा जारी न होना, विपक्षी संख्या 1 के पास पहले से पर्याप्त भूमि होना, भौतिक कब्जा सुपुर्द न होना, मौके पर प्रार्थी का कब्जा होना, आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन गलत तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त की जाने की मांग की तथा न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि मिसप्रजेन्टटेशन एवं गलत तथ्यो पर आधारित आवंटन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

2018(1) आर.एल.डब्ल्यू. 675

2005 आर.आर.डी. 13

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 श्री लक्ष्मण पिता मेघा भील द्वारा मौजा नला छोटा, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 86 रकबा 0.68 हेक्टयेर एवं 464/183 रकबा 0.20 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.88 हेक्टेयर के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति के कोरम के निर्णय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही दिये जाते है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पास पूर्व से भूमि होना एवं आवंटी का भूमिहीन काश्तकार न होना न्यायालय को अवगत कराया है, किन्तु इसकी पुष्टि स्वरूप कोई जमाबन्दी प्रार्थी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही की है। विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन वर्ष 1992 का है अर्थात आवंटन को लगभग 27 वर्ष हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त आवंटन के इतने लम्बे समय पश्चात किसी भी काश्तकार के आंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना हम उचित नही समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा नला छोटा, तहसील झाडोल की आराजी संख्या 86 रकबा 0.68 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षी संख्या 1 श्री लक्ष्मणलाल पिता मेघा जी कलासुआ के नाम पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मिसल नम्बर 686/1992 से किया गया आवंटन दिनांक 27.06.1992 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थी यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर